कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण **GCMS NO 2025/678**
दायरा तिथि : 04.11.2025
आदेश तिथि : 25-02-2026
प्रार्थी :–

शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी दुदनी तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. कल्पा पुत्री चुन्नीलाल
2. गीता देवी पुत्री पाबू
3. दुर्गा देवी पुत्री पाबू
4. मगनलाल पुत्र पाबू
5. मैथी देवी पुत्री पाबू
6. लीला देवी पुत्री पाबू
7. सरोज देवी पुत्री चुन्नीलाल
8. सावत्री देवी पुत्री पाबू
9. हितेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल तमाम जातिगण ब्राहाण निवासीगण ग्राम भाटुन्द, तहसील बाली जिला पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक: 25-02-26

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2415 रकबा 0.2100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev 6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2026/345 दिनांक 30.01.2026 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु रेकर्ड के अनुसार रास्ता नही है।, लेकिन मौके पर खसरा न. 2415, 2416, 2410 व 2411 में होकर कदीमी रास्ता मौके पर चल रहा है। प्रार्थी द्वारा उसी रास्ते से आगे खसरा न. 2417 में जुडतो हुआ रास्ता उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. यह है कि आवेदित रास्ता अन्य वैकल्पिक रास्ता, जो कि प्रार्थी के खसरा नं. 2418 के लिए अप्रार्थीगणों के खसना न. 2419 में होकर निकटतम है, लेकिन मौके पर प्रचलित नहीं है।

यह है कि आवेदित रास्ता का अधिकतर भाग मौके पर प्रचलित रास्ता है, केवल 19 मीटर ही नया है।

4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2415	0.2100	बारानी अव्वल	1. 131X09=279 वर्गमीटर 2. 10X09=90 वर्गमीटर 3. 12X09=108 वर्गमीटर कुल 477वर्गमीटर	कल्पा पुत्री चुन्नीलाल हिस्सा 1/21 वगैराह जातिगण ब्राहाण सा. देह खातेदार

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/678
अनवान शंकरलाल बनाम कल्पा वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

5. नोट – अन्य विकल्प आवेदक की भूमि मौके पर आने–जाने हेतु अन्य विकल्प जो आवेदक द्वारा प्रस्तावित रास्ते से छोटा उपलब्ध है, जो निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	2419	0.5900	बारानी अव्वल	44X09=396 वर्गमीटर	कल्पा पुत्री चुन्नीलाल हिस्सा 1/21 वगैराह जातिगण ब्राहाण सा. देह खातेदार

7. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,62,262/– रूपये प्रति हैक्टर है।
8. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में आदिनांक तक वकालन/असालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रेकर्डेड रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार बाली ने अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि आवेदित रास्ता वर्तमान में मौके पर चल रहा है। जिससे नया रास्ता दिया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा भी कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः प्रार्थी को ग्राम भाटून्द के खसरा नंबर 2415 में से ही रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2417 रकबा 0.0800 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 2415 रकबा 0.2100 हैक्टर में से **477 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 362262/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2415	0.2100	1. 131X09=279 वर्गमीटर 2. 10X09=90 वर्गमीटर 3. 12X09=108 वर्गमीटर कुल 477वर्गमीटर	37	10323X2=20646 3330X2=6660 3996X2=7992	कल्पा पुत्री चुन्नीलाल हिस्सा 1/21 वगैराह जातिगण ब्राहाण सा. देह खातेदार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 35298/– (अक्षरे पैतीस हजार दौ सौ अठानवे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा इसे आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/678

अनवान शंकरलाल बनाम कल्या वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विमलेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/379-383

दिनांक : 06-03-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 बीजापुर
3. पटवारी हल्का, भाटून्द
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक शंकरलाल पुत्र छोगाराम जाति मेघवाल निवासी दुदनी तहसील बाली को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,बाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 19/01/2026 07:43:55 PM

जिला : पाली   तहसील : बाली   भू. अ. नि. क्षेत्र : बीजापुर

हल्का : भाटुन्द   ग्राम : भाटुन्द

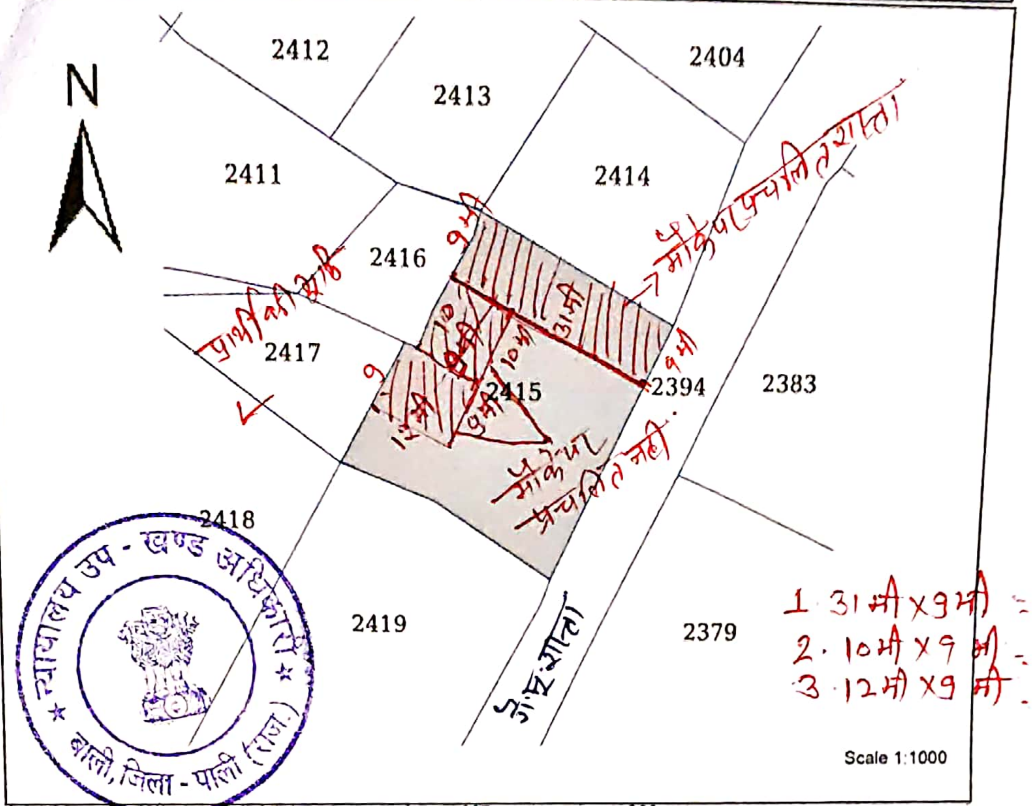

खसरा संख्या : 2415 क्षेत्रफल : 0.2100 Hectare खाता संख्या : 297 पुराना खाता संख्या : 296

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [0.2100, 1.47]

1.) कल्पा पुत्री चुन्नीलाल हिस्सा- 1/21 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
2.) गीतादेवी पुत्री पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
3.) दुर्गादेवी पुत्री पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
4.) मगनलाल पुत्र पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
5.) मैथी देवी पुत्री पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
6.) लीलादेवी पुत्री पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
7.) सरोज देवी पुत्री चुन्नीलाल हिस्सा- 1/21 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
8.) सावत्री देवी पुत्री पाबू हिस्सा- 1/7 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार
9.) हितेश कुमार पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा- 1/21 जाति- ब्राह्मण सा. देह खातेदार

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार, बाली

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए।
२. इसका [illegible] रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टि [illegible]/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with OKEN Scanner